प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.11.23

थाना मसूरी टीम द्वारा धर्म विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी कर धार्मिक सद्भाव बिगाडनें की कोशिश करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 04.11.23 को सोशल मीडिया पर एक वीडियों वायरल हुआ जिसमें एक लडका धर्म विशेष के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करता हुआ प्रदर्शित हो रहा है। थाना मसूरी पुलिस द्वारा वीडियों का तत्काल संज्ञान लेकर वीडियों में दिखाई दे रहे लडके अयान कुरैशी पुत्र शाहबुद्दीन निवासी रफीकाबाद डासना थाना मसूरी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –</u>

अयान कुरैशी पुत्र शाहबुद्दीन निवासी रफीकाबाद डासना थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष,

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

थाना मसूरी पुलिस टीम।

<u>थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा थाना लिंकरोड क्षेत्र से लूट में वांछित 02 बाइक सवार अपराधियो से हुई मुठभेड़ मे 01 अपराधी गोली लगने से घायल तथा 01 फरार। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध शस्त्र, 02 लूटे हुए मोबाइल फोन, चोरी की मोटरसाइकिल, पूर्व में थाना लिंकरोड क्षेत्र में घटित घटना से सम्बन्धित 4500/- रूपये बरामद।</u>

दिनांक 05/11/2023 को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र से लूट की घटना में वांछित अपराधियों एवं थाना लिंकरोड पुलिस में हुई मुठभेड़ के दौरान 01 अपराधी अमन शर्मा उर्फ निखिल उर्फ पुनित पुत्र रामबाबू शर्मा निवासी म0न0 डी 2/462 नन्दनगर दिल्ली, उम्र 30 वर्ष मुठभेड़ के दौरान पैर मे गोली लगने से घायल/गिरफ्तार तथा 01 अन्य साथी मौके से भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अभियुक्त पर लूट/चोरी आदि के करीब आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस
2. 01 चोरी की मोटरसाइकिल
3. 02 लूटे हुए मोबाइल फोन
4. लूट की घटना से सम्बंधित 4500/- रुपये नगद

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. अमन शर्मा उर्फ निखिल उर्फ पुनित पुत्र रामबाबू शर्मा निवासी म0न0 डी 2/462 नन्दनगरी दिल्ली उम्र 30 वर्ष।
2. मुकेश पुत्र बालेश्वर निवासी म0न0 105 गली न0 02 ठाकुर मलखान सिंह गेट हर्ष विहार सबोली दिल्ली **(फरार)**

आपराधिक इतिहासः-

अभि0 अमन शर्मा उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली ,NCR क्षेत्र के भिन्न-भिन्न थानों पर लूट ,चोरी ,आर्म्स एक्ट के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1.थाना लिंकरोड पुलिस टीम
2. स्वाट टीम ट्रांस हिण्डन जोन

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा पटाखे की अवैध बिक्री करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से मिश्रित पटाखे बरामद।

दिनांक 05.11.23 को थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध पटाखों की बिक्री करने वाले अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र मुरारी लाल निवासी म0न0 123, अम्बे कालोनी चौहान पट्टी सभापुर, सोनिया विहार थाना सोनिया विहार दिल्ली को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 04 प्लास्टिक के कट्टों में भरे मिश्रित पटाखे बरामद हुए। पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि साहब यह अवैध पटाखें मैने दीपावली पर बिक्री के लिये एकत्रित कर रखे थे। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता–

अशोक कुमार पुत्र मुरारी लाल निवासी म0न0 123, अम्बे कालोनी चौहान पट्टी सभापुर, सोनिया विहार थाना सोनिया विहार दिल्ली, उम्र करीब 53 वर्ष,

बरामदगी का विवरण-

04 प्लास्टिक के कट्टों में भरे मिश्रित पटाखे,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1700/- रुपये व घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन बरामद ।

दिनांक 05.11.2023 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी श्री महेन्द्र गौड पुत्र श्री राम नारायण गौड उम्र 78 वर्ष निवासी प्लॉट 58 विक्रम इंकलेव सूर्या पार्क के सामने शालीमार गार्डन गाजियाबाद की अभियुक्त द्वारा वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर 55000/- रुपये ले लेना तथा और अधिक पैसे की मांग करना, वादी द्वारा और पैसे न देने पर धमकी देने के सबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तत्काल शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त चन्द्रवीर पुत्र गप्पू निवासी B-80 महालक्ष्मी अपार्टमेंट शालीमार गार्डन गाजियाबाद मूल पता ग्राम खलीलपुर राठ थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर को शिव चौक के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रुयक्त 02 मोबाइल फोन व 1700/- बरामद हुए । अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

चन्द्रवीर पुत्र गप्पू निवासी B-80 महालक्ष्मी अपार्टमेंट शालीमार गार्डन गाजियाबाद मूल पता ग्राम खलीलपुर राठ थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर ।

बरामदगी का विवरण

1. घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन
2. 1700/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध रूप से पटाखे बनाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे निर्मित/ अर्द्धनिर्मित पटाखे, पटाखे बनाने की सामग्री व पटाखे बनाने के उपकरण बरामद ।

आज दिनांक 05.11.2023 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चौकी क्षेत्र अशोक बिहार थाना लोनी में अवैध रूप से पटाखे बनाने वाला एक अभियुक्त सईद तीलगर पुत्र मौ0 इदरीश निवासी कैला गौदाम के पास डाबर तालाब थाना अंकुर विहार लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से निर्मित/अर्द्धनिर्मित पटाखे,

पटाखे बनाने की सामग्री व पटाखे बनाने के उपकरण बरामद । पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह आगामी दीपावली त्यौहार व बर्थडे पार्टियों आदि के लिये पटाखे बनाने का काम कर रहा था जिसका उसके पास कोई वैध लाईसैंस नही है । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता

सईद तीलगर पुत्र मौ0 इदरीश निवासी कैला गौदाम के पास डाबर तालाब थाना अंकुर विहार लोनी जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरणः-

1. पटाखों के 310 डिब्बे,

2.पटाखे बनाने की सामग्री- सफेद कोटन पाऊडर 39 किलो 900 ग्राम, मैगनीशियम 05 किलो 500 ग्राम, पोटेशियम नाईट्रेट (सोरा)26 किलो, सोडा पाउडर 16 किलो 700 ग्राम, पिसा हुआ लोहा पाउडर 05 किलो, लाल बारूद 01 किलो 400 ग्राम, अरारोट सफेद 21 किलो 300 ग्राम, पी.ओ.पी पाऊडर व लाल मिट्टी मिक्स 20 किलो 200 ग्राम, लाल मिट्टी 17 किलो 400 ग्राम, एलूमीनियम चमकीला पाउडर 05 किलो 400 ग्राम, कोयला पिसा हुआ 10 किलो 200 ग्राम, सलफर पाउडर पीला रंग 3 किलो 700 ग्राम, मिक्स बारूद 15 किलो 400 ग्राम,

3. पटाखे बनाने के उपकरण

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम ।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार व घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त एक ईट बरामद ।

दिनांक 31.10.2023 को वादी श्री राजकुमार पुत्र विजय कुमार निवासी म0नं0 283 गली नं0 6 चरण सिंह थाना विजयनगर गाजियाबाद की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के साले की हत्या करने की सूचना पर थाना विजयनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही का विवरण - घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया । सभी टीमों के अथक प्रयास एवं आस पास के सीसीटीवी फुटैज , मोबाइल सर्विलांस, मैनुअल इटेलिजेन्स एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 05.11.2023 को अभियुक्त तरूण कुमार पुत्र पुष्प कुमार निवासी म0न0 384 चरण सिह कालोनी गली नं0 08 प्रतापविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा मिल्ट्री ग्राउण्ड सैक्टर – 09 से गिरफ्तारी किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि अरूण कुमार (मृतक), आकाश नाथ उर्फ लूली व गौरव उर्फ सिमरू हम चारो दोस्त थे हम चारो नशा करने एवं जुआं खेलने के आदी थे दिनांक 27.10.2023 को रात्रि में हम चारो ने एक

साथ बैठकर नशा किया एवं जुआ खेला था अरूण कुमार जुआ में जीत गया था उसके बाद हम चारो लोग खाना लेने गये थे, मैं तथा आकाश व गौरव तीनो मोटर साईकिल से खाना लेकर K.A कॉलोनी के लिये चल दिये थे उसके गेट के बगल में पेड़ के नीचे रूक गये तथा थोड़ी देर बाद अरूण भी पीछे से आ गया और गाली गलौज करते हुये कहने लगा सालो तुम मुझे मोटर साईकिल पर क्यों नही बैठाकर लाये तभी आकाश ने कहा कि मोटर साईकिल तेरे बाप की नही है मैं जिसे चहाऊंगा उसे बैठाऊंगा इसी बात को लेकर हम लोगो में मारपीट शुरू हो गयी तथा तब हम तीनों ने कहा कि आज इसको जान से मार दो तभी आकाश ने पास में पड़ी ईट उठाकर अरूण के सिर पर जान से मारने की नियत कई वार किये और हम दोनो ने भी लात घूसो से उसको तब तक मारा जब तक वह जमीन पर गिर नही गया जब हमे विश्वास हो गया की अरूण की मृत्यु हो गया है तब हम तीनों ईट को वहीं छिपाकर मोटर साईकिल पर बैठकर भाग गये थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

तरूण कुमार पुत्र पुष्प कुमार निवासी म0न0 384 चरण सिह कालोनी गली नं0 08 प्रतापविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगणः-

1._आकाश नाथ उर्फ लूली पुत्र शिवशंकर नाथ निवासी एम- 57 चरण सिह कालोनी गली नं0 02 मैन रोड़ प्रतापविहार विजयनगर गाजियाबाद।

2. गौरव पुत्र नेपाल निवासी चरण सिह कालोनी गली नं0 01 थाना विजयनगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरणः-

घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त एक ईट

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त तरूण कुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना विजयनगर पर हत्या का एक अभियोग पंजीकृत है।

वांछित अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त आकाश नाथ उर्फ लूली के विरुद्ध 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित, 02 अभियोग हत्या से सम्बन्धित, 02 अभियोग मारपीट से सम्बन्धित, कुल 05 अभियोग थाना विजयनगर पर पंजीकृत है।

2. अभियुक्त गौरव के विरुद्ध थाना विजयनगर पर हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम